त्वरित निराकरण हेतु
इस कार्यालय का संदर्भ
क्रमांक लिखें

FAX

क्रमांक 3328700/62/14
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,
तुलसी नगर, भोपाल, (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 5/9/14

–:: आदेश–:

श्री बी.एन.खंगार,उपयंत्री, जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक–1, शहडोल प्रभारी उपयंत्री, शाहपुर जलाशय योजना द्वारा पदीय कर्तव्यों का निर्वहन न किए जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के नियम–9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन उपरांत उन्हें कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक–1, सागर में संबद्ध किया जाता है, जहाँ उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

5-9.14

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक 3328700/62/14 भोपाल, दिनांक 5/09/2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
2. मुख्य अभियंता, गंगा कछार, रीवा।
3. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल को इस कार्यालय को प्रेषित उनके पत्र क्रमांक 3310/कार्य/नि.स./2014–15 दिनांक 25.08.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ। कृपया संबंधित के विरूद्व प्रारूप आरोपपत्रादि सी.डी.सहित इस कार्यालय को दिनांक 22.09.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् करें। आरोपपत्र में जो आरोप लगाए जावें उनसे संबंधित अभिलेख साथ में संलग्न करें। अभिलेखों के आधार पर संबंधित द्वारा किस प्रकार पदीय कर्तव्यों का अनुपालन नहीं किया गया है, इसका उल्लेख सुस्पष्ट होना चाहिए। यदि शासन को कोई आर्थिक हानि हुई है तो उससे संबंधित अभिलेख तथा अभिलेखों के आधार पर किस प्रकार एवं कितनी हानि शासन को हुई, इसका उल्लेख भी स्पष्ट होना चाहिए। स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत ही आरोपपत्रादि भेजें।
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक–2, शहडोल।
5. संबंधित श्री..द्वारा स.क. 3.
6. वैब मैनेजर, परियोजना संचालक, पाईकू, कक्ष क्रमांक–209 को वैबसाइट में प्रदर्शित हेतु।

5-9.14

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
भोपाल

2
6/9

R-3914